

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नाद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”

पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012.”



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 241]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 3 अगस्त 2011—श्रावण 12, शक. 1933

गृह (पुलिस) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 अगस्त 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-87/2011/गृह-दो.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का अधिनियम क्रमांक 2) की धारा 357ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, ऐसे पीड़ित व्यक्ति या उसके आश्रितों को जिन्हें किसी अपराध के कारण चोट या क्षति हुई है और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है, क्षतिपूर्ति के लिये निधि के प्रावधान हेतु निम्नलिखित योजना बनाते हैं, यथा :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक** :— इस योजना को “पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना 2011” कहा जायेगा.
2. **परिभाषाएं** :— जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो इस योजना के अन्तर्गत :—
 1. “अधिनियम का अर्थ” दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 है.
 2. “अनुसूची का अर्थ” इस योजना के साथ संलग्न अनुसूची है.
 3. “राज्य का अर्थ” छत्तीसगढ़ राज्य है.
 4. “पीड़ित का आशय” ऐसे व्यक्ति से है जिसे किसी अपराध के कारण नुकसान या क्षति हुई हो तथा इसके अन्तर्गत उसके आश्रित परिवारजन भी शामिल हैं.
 5. स्वयं कोई नुकसान या क्षति सहा हो अथवा किसी अपराध के फलस्वरूप जिसे चोट आई हो एवं जिसे पुनर्वास की आवश्यकता हो. इसके अन्तर्गत पीड़ित के आश्रित परिवारजन भी शामिल हैं.

3. पीड़ित क्षतिपूर्ति निधि :—

1. राज्य शासन द्वारा "पीड़ित क्षतिपूर्ति निधि" के नाम से एक निधि बनाई जायेगी. पीड़ित व्यक्ति या उसके आश्रितों को इस योजना अन्तर्गत क्षतिपूर्ति का भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा किया जायेगा.
2. राज्य शासन, गृह विभाग के बजट में इस निधि के लिये प्रावधान करेगा. गृह विभाग इस योजना के लिये नोडल विभाग होगा तथा जिलों के कलेक्टरों को आवश्यकता अनुरूप आवंटन उपलब्ध करायेगा.
3. संबंधित जिले का कलेक्टर इस निधि से संबंधित लेखा विवरण संधारित करेगा तथा गृह विभाग को व्यय का त्रैमासिक प्रविवरण भेजेगा.

4. क्षतिपूर्ति के लिए अर्हताएं :— निम्नलिखित अर्हताएं पूर्ण करने वाला पीड़ित व्यक्ति या उसका आश्रित इस योजना के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति का पात्र होगा—

- अ. पीड़ित को चोट अथवा क्षति के कारण उसके परिवार की आय में पर्याप्त कमी हो गई हो, जिसके कारण आर्थिक सहायता के बिना परिवार का जीवन-यापन कठिन हो गया हो अथवा मानसिक/शारीरिक चोट के उपचार में उसे उसके सामर्थ्य से ज्यादा व्यय करना पड़ता हो.
- ब. पीड़ित अथवा उसके परिजन द्वारा अपराध की रिपोर्ट संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी/कार्यपालिक दण्डाधिकारी/न्यायिक दण्डाधिकारी को बिना अनुचित विलम्ब के किया गया हो.
- स. पीड़ित/आश्रित व्यक्ति अपराध की विवेचना एवं अभियोजन में क्रमशः पुलिस एवं अभियोजन पक्ष का सहयोग करता हो.

5. क्षतिपूर्ति की स्वीकृति की प्रक्रिया :—

1. अधिनियम की धारा 357 के अन्तर्गत जब किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा क्षतिपूर्ति की अनुशंसा की जाती है अथवा धारा 357-ए की उपधारा 4 के अन्तर्गत किसी पीड़ित व्यक्ति अथवा उसके आश्रित के द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है तब उक्त प्राधिकरण संबंधित पुलिस अधीक्षक से परामर्श तथा समुचित जांच पश्चात् तथ्य एवं दावे की पुष्टि करेगा तथा 02 माह के अंदर जांच पूर्ण कर योजना के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त क्षतिपूर्ति की घोषणा करेगा.
2. इस योजना के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति का भुगतान इस शर्त पर किया जायेगा कि यदि बाद में निर्णय पारित करते हुये विचारण न्यायालय आरोपित व्यक्तियों द्वारा अधिनियम की धारा 357 के उप नियम 3 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति दिये जाने हेतु आदेशित करता है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पूर्व में घोषित क्षतिपूर्ति को उसमें समायोजित किया जावेगा. इस आशय का एक वचन पत्र पीड़ित/दावेदार द्वारा क्षतिपूर्ति के भुगतान के पूर्व दिया जायेगा.
3. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पीड़ित या उसके आश्रित के लिये क्षतिपूर्ति की राशि निर्धारित करने में पीड़ित को हुये नुकसान, उपचार खर्च, पुनर्वास हेतु आवश्यक न्यूनतम निर्वाह राशि तत्समय लागू न्यूनतम मजदूरी एवं अन्य प्रासंगिक व्यय जैसे अंत्येष्टि व्यय इत्यादि को ध्यान में रखा जायेगा. तथ्यों के आधार पर क्षतिपूर्ति की राशि में प्रकरण दर प्रकरण भिन्नता हो सकती है.
4. पीड़ित व्यक्ति द्वारा प्रश्नाधीन अपराध के संबंध में किसी अन्य स्रोत जैसे बीमा राशि, अनुग्रह राशि अथवा केन्द्र/राज्य सरकार के किसी अधिनियम/योजनान्तर्गत भुगतान, से प्राप्त क्षतिपूर्ति को इस योजना अन्तर्गत क्षतिपूर्ति के अंश के रूप में माना जायेगा तथा इस योजनान्तर्गत घोषित क्षतिपूर्ति के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा.
5. पीड़ित अथवा उसके आश्रितों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति को अधिकतम सीमा अनुसूची में दी गई राशि से अधिक नहीं होगी.
6. मॉटर यान अधिनियम 1988 (1988 का अधिनियम क्रमांक 59) के अन्तर्गत शामिल प्रकरणों को जिनमें मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा क्षतिपूर्ति का आदेश दिया जाना है, इस योजना में शामिल नहीं किया जायेगा.

7. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पीड़ित व्यक्ति के कष्ट को कम करने के लिये, संबंधित थाना प्रभारी अथवा क्षेत्र के कार्यकारी मजिस्ट्रेट के प्रमाण पत्र के आधार पर पीड़ित व्यक्ति को तत्काल प्राथमिक चिकित्सा सुविधा अथवा निःशुल्क चिकित्सा लाभ अथवा अन्य अंतरिम सहायता जैसा भी उचित हो उपलब्ध कराने हेतु आदेशित कर सकता है.
6. चोट या क्षति पहुंचाने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति राशि की वसूली :—
1. राज्य विधिक सहायता प्राधिकरण यदि उपयुक्त समझे तो जिला अभियोजन अधिकारी से परामर्श कर पीड़ित या उसके परिवार को स्वीकृत की गई क्षतिपूर्ति की राशि की वसूली उस व्यक्ति/व्यक्तियों से करने हेतु सक्षम न्यायालय में कार्यवाही कर सकता है, जो अपराध कर चोट या क्षति पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हैं.
 2. इस प्रकार वसूल की गई राशि को पीड़ित क्षतिपूर्ति निधि में जमा कराया जावेगा.
7. आदेश का अभिलेख में रखा जाना :— इस योजना अंतर्गत दिये गये क्षतिपूर्ति आदेश की प्रतिलिपि अनिवार्यतः विचारण न्यायालय के अभिलेख पर रखा जायेगा, ताकि अधिनियम की धारा 357 की उपधारा 3 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति का आदेश पारित करने में न्यायालय को सुविधा हो.
8. परिसीमन :— अधिनियम की धारा 357-ए की उपधारा 4 के अंतर्गत पीड़ित अथवा उसके आश्रितों के द्वारा प्रस्तुत कोई आवेदन चोट/क्षति कारित किये जाने की एक वर्ष की समयावधि के पश्चात् ग्राह्य नहीं होगा.
9. अपील :— जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा किसी पीड़ित अथवा उसके परिवारजन को क्षतिपूर्ति देने से इंकार करने की दशा में वह व्यक्ति 90 दिनों के भीतर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में अपील प्रस्तुत कर सकता है,

परन्तु यह कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को यदि संतुष्टि हो तो तत्संबंधी कारणों का उल्लेख करते हुये अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब की अवधि को माफ कर सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शोरी, संयुक्त सचिव.

अनुसूची

संख्या	क्षति या चोट का विवरण	क्षतिपूर्ति की अधिकतम सीमा
1.	जीवन की क्षति	1.00 लाख
2.	एसीड अटैक के कारण शरीर के अंग या भाग के 80 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता या गंभीर क्षति.	50,000
3.	शरीर के अंग या भाग की क्षति परिणामस्वरूप 40 प्रतिशत से अधिक एवं 80 प्रतिशत से कम विकलांगता.	25,000
4.	अवयस्क का बलात्कार	50,000
5.	बलात्कार	25,000
6.	पुनर्वास	20,000
7.	शरीर के अंग या भाग की क्षति परिणामस्वरूप 40 प्रतिशत से कम विकलांगता	10,000
8.	महिलाओं एवं बच्चों के मानव तस्करी जैसे मामलों में गंभीर मानसिक पीड़ा के कारण क्षति	20,000
9.	साधारण क्षति या चोट से पीड़ित बच्चे	10,000

रायपुर, दिनांक 3 अगस्त 2011

क्रमांक एफ 3-87/2011/गृह-दो.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03-08-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शोरी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 3rd August 2011

NOTIFICATION

No. F 3-87/2011/Home-Two.—In exercise of the powers conferred by section 357-A of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the Governor of Chhattisgarh, in co-ordinance with the Central Government, hereby frames the following scheme for providing a Fund for the purpose of compensation to the victim or his dependants who have suffered loss or injury as a result of crime and who require rehabilitation :—

1. **Short title :—** This scheme may be called the "Victim Compensation Scheme-2011".
2. **Definitions :—** In this Scheme, unless the Context otherwise requires :
 1. "Act" means the Code of Criminal Procedure, 1973
 2. "Schedule" means the Schedule appended to this Scheme.
 3. "State" means State of Chhattisgarh.
 4. "Victim" means a person who himself has suffered loss or injury as a result of crime and requires rehabilitation and this includes dependant family members also.
3. (1) **Victim Compensation Fund :—**A Fund shall be constituted namely Victim Compensation Fund by the State Government. The amount of compensation under this scheme shall be paid to the Victim or his dependants by the Office of the Collector of the district concerned.
- (2) The State Government shall make provision for the Fund in the budget of Home Department. The Home Department shall be nodal department for the scheme and shall give allotment to the Collectors of the districts as per requirement.
- (3) The Collector of the district concerned shall maintain account relating to the Fund and shall submit quarterly return of expenditure to the Home Department.
4. **Eligibility for Compensation :—** A victim or his dependant satisfying the following criteria shall be eligible for the grant of compensation :
 - (A) Loss or injury sustained by the victim should have caused substantial loss to the income of the family making it difficult to meet their both ends without the financial aid or has to spend beyond his means on medical treatment of mental/physical injury.
 - (B) The victim/dependant should have reported a crime to the officer in-charge of the Police Station/ Executive Magistrate/Judicial Magistrate of the area without undue delay.
 - (C) The victim/dependant should Co-operate with the police and prosecution during the investigation and trial of the case respectively.
5. **Procedure for grant of compensation :—**
 - (1) Whenever a recommendation is made by a court under Section 357 of the Act or an application is made by the Victim or his dependant under sub section 4 of the Section 357-A of the Act to the District Legal Service Authority, the said Authority shall verify the facts and the claims after due enquiry and consultation with the SP concerned and award adequate compensation in accordance with the provisions of the scheme by completing the enquiry within two months.
 - (2) The compensation under this scheme shall be paid subject to the condition that if the trial court, while passing judgment at a later date, orders the accused persons to pay any amount by way of compensation under sub-section (3) of section 357 of the Act, the amount of compensation already awarded by the District Legal Service Authority shall be duly considered and adjusted. An undertaking to this effect shall be given by the victim/claimant before the disbursement of the compensation amount.

- (3) The District Legal Service Authority shall decide the quantum of compensation to be awarded to the victim or his dependants on the basis of loss caused to the victim, medical expenses to be incurred on treatment, minimum sustenance amount required for rehabilitation, keeping in view the minimum wages prevalent at the time and including such incidental charges as funeral expenses etc. The compensation may vary from case to case depending on fact of each case.
- (4) Compensation received by the victim in relation to the crime in question from other sources namely Insurance, exgratia, payment received under any other Act or Scheme of Central/State Government shall be considered as part of compensation amount under this scheme and shall be adjusted against the compensation amount awarded under this Scheme.
- (5) The quantum of compensation to be awarded to the victim or his dependants by the District/State Legal Service Authority shall not exceed the upper limit as provided in the schedule of this scheme.
- (6) The cases covered under Motor Vehicle Act, 1988 (59 of 1988) wherein compensation is to be awarded by the Motor Accident Claims Tribunal, shall not be covered under the Scheme.
- (7) The District Legal Service Authority, to alleviate the suffering of the victim, may order for immediate first aid facility or medical benefits to be made available free of cost or any other interim relief as it may deem fit on the certificate of the police officer not below the rank of the office-in-charge of the police station or the Executive Magistrate of the area concerned.

6. **Recovery of Compensation from the person/persons responsible for causing loss/injury :—**

- (1) The State Legal Service Authority, if deemed fit, shall institute a proceeding before the competent court of law in consultation with the office of the district prosecution officer for recovery of the compensation granted to the victim or his dependants from the person/persons responsible for causing loss or injury as a result of the crime committed by him/them.
- (2) The amount so recovered shall be deposited in the victim compensation fund.

7. **Order to be placed on record :—**Copy of the order of compensation passed under this scheme shall be mandatorily placed on record of the trial court to enable the court to pass order of compensation under subsection (3) of section 357 of the Act.

8. **Limitation :—**No application of the victim or his dependants under subsection (4) of section 357-A of the act shall be entertained after a period of one year from the date of suffering loss/injury.

9. **Appeal :—** Any victim aggrieved of the denial of compensation by the district legal service authority may file an appeal before the state legal service authority within a period of ninety days.

Provided that the state legal service authority, if satisfied, for the reasons to be recorded in writing, may condone the delay in filing the appeal.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
S. P. SHORI, Joint Secretary.

SCHEDULE

S. No.	Details of Loss or Injury	Maximum Limit of Compensation
1.	Loss of Life	1.00 Lac
2.	Loss of limb or part of body resulting 80% or above handicap or serious injury due to Acid Attack.	50,000
3.	Loss of Limb or part of body resulting above 40% and below 80% handicaped.	25,000
4.	Rape of Minor	50,000
5.	Rape	25,000
6.	Rehabilitaion	20,000
7.	Loss of limb or part of body resulting below 40% handicap	10,000
8.	Injury causing severe mental agony to women and child victim in case like human Trafficking.	20,000
9.	Simple loss or injury to child victim	10,000

